देखभाल और सहायता करने वाला सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है ।

क्या करें

1. आप शोर मचाकर लोगो को इकट्ठा करें।
2. अपने माता–पिता को तुरंत इसकी सूचना दें।
3. आप अपने शिक्षकों से इस बारे में बात करें।
4. चाइल्ड लाइन (1098) पर शिकायत करें।

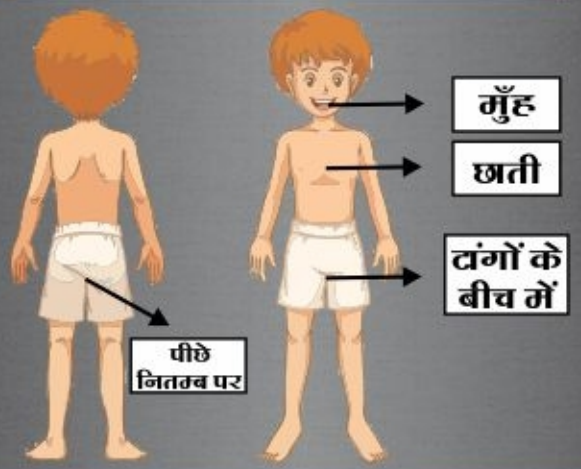

डायल करें 1098 जब.....

- ✓ कोई बच्चा बीमार और अकेला हो ।
- ✓ किसी बच्चे को आश्रय की जरूरत हो ।
- ✓ कोई बच्चा छोड़ दिया गया हो या गुम हो गया हो, उसका शोषण हो रहा हो ।
- ✓ कोई बच्चा पिट रहा हो या
- ✓ काम करवा कर बच्चे को उसकी मजदूरी न दी गयी हो ।
- ✓ रास्ते पर किसी बच्चे का उत्पीड़न हो रहा हो ।
- ✓ आप चाइल्ड को अपनी सेवाएं देना चाहें ।

चाइल्ड लाइन 24 घंटे चलने वाली मुफ्त, अपातकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा है । उन बच्चों के लिए जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है । राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणित संस्थानों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों तथा कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भागीदारी में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परियोजना है ।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें –

1. उच्च न्यायालय स्तर पर – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर, उप समिति ग्वालियर एवं इन्दौर के सचिव अथवा वहाँ के जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
2. जिला स्तर पर – जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
3. तहसील स्तर पर – दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,
4. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)

कानूनी साक्षरता - हटाये दुर्बलता

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम

(POCSO ACT) 2012

"बच्चे हमारे सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है ।"
– हर्बर्ट हूवर

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष: (0761) 2678352, 2624131 फैक्स : 2678537
वेबसाइट : www.mpslsa.nic.in
ईमेल : mplsajab@nic.in

यह अधिनियम 14 नवम्बर 2012 से लागू । अधिनियम के द्वारा यौन उत्पीड़न एवं लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान की गई है और इन अपराधों के विचारण के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना के प्रावधान भी किये गये है ।

- अपराध का दुष्प्रेरण भी दण्डनीय
- संचार माध्यमों को विशेष न्यायालय की अनुमति के बिना शिशु की पहचान प्रकट करना प्रतिबंधित

अधिनियम के प्रमुख उपबंध :-

- ❖ विशेष न्यायालयों की स्थापना
- ❖ 18 वर्ष से कम आयु का बालक माना गया
- ❖ बालकों को यौन प्रहार, यौन उत्पीड़न, कामुक अभिव्यक्ति से संरक्षण
- ❖ पहली बार स्पर्शीय या अस्पर्शीय आचरण के पहलुओं को यौन अपराध माना गया, जैसे– शिशुओं का अश्लील तरीके से छायांकन
- ❖ यौन अपराध के मामलों के विचारण की प्रक्रिया मैत्रीपूर्ण

यौन उत्पीड़न क्या है ?

- ✦ किसी बालक का किसी विधि विरूद्ध लैंगिक क्रियाकलाप से उत्पीड़न या उत्प्रेरण ।
- ✦ वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरूद्ध लैंगिक व्यवसाय में बालक का शोषण ।
- ✦ बालक का लैंगिक शोषण करने के लिए उकसाना /बहकाना /प्रयास करना / प्रलोभन देना/ धमकी देना ।
- ✦ लैंगिक आशय के साथ बालक /बालिका के निजी अंगो को छूना ।
- ✦ बालक को सीधे व इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साधनों के माध्यम से पीछा करना, देखना सम्पर्क करना आदि ।

यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराध की रिपोर्ट करना -

- ★ चाइल्ड लाइन (1098)
- ★ विशेष किशोर पुलिस यूनिट
- ★ स्थानीय पुलिस स्टेशन (रिपोर्ट सरल भाषा में लिखी जाएगी जिसे बालक समझ सके ।)

बालकों के विरूद्ध अपराध एवं दंड-

❐ धारा–3, प्रवेशन लैंगिक हमला को अपराध माना गया है और

❐ धारा–4, में प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड जो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकेगा, जुर्माना के साथ उपबंधित है ।

❐ धारा–5, गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला अपराध माना गया है और

❐ धारा–6, में गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला का दंड, कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना के साथ

❐ धारा–7, लैंगिक हमला को अपराध माना गया है और

❐ धारा–8, में लैंगिक हमले का दंड – दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा और 5 वर्ष तक हो सकेगा, जुर्माना के साथ

❐ धारा–9, गुरूत्तर लैंगिक हमला

धारा–10, गुरूत्तर लैंगिक हमला का दंड दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 5 से कम नहीं होगा 7 वर्ष तक हो सकेगा, जुर्माना के साथ

❐ धारा–11, लैंगिक उत्पीड़न

❐ धारा–12, लैंगिक उत्पीड़न का दंड दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 3 वर्ष तक का और जुर्माना

❐ धारा–13, अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिये बालक का उपयोग(मीडिया) भी दण्डनीय बनाया गया है ।

❐ धारा–15, बालक के अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिये दंड दोनों में किसी भी प्रकार के कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माना से दण्डनीय होगा ।

असुरक्षित स्पर्श को पहचानें एवं इसका विरोध करें

यदि आपको कोई शरीर की चार जगहों (मुँह, छाती, टॉगों के बीच में एवं पीछे नितंब) में स्पर्श करता है जिससे आपको असुरक्षित और गंदा महसूस होता है तो ये असुरक्षित स्पर्श है, इसका विरोध करें । ऐसा करने वाला आपकी जान पहचान वाला या आपका रिश्तेदार, टीचर, पड़ोसी कोई भी हो सकता है । ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको लालच देकर या डरा धमका कर ऐसा कर रहा हो यदि ऐसा है तो तुरंत इसका विरोध करें ।